कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक अधीक्षक
मध्यप्रदश.

क्रमांक 1081 /तकनीकी/2010 भोपाल, दिनांक 7/4/10

प्रति,

समस्त वरिष्ठ जिला पंजीयक,
समस्त जिला पंजीयक,
समस्त उप पंजीयक
मध्यप्रदेश ।

विषय :— राज्य के बाहर के व्यक्तियों कम्पनियों आदि के पक्ष में स्थित भूमि के विक्रय का अधिकार देने वाले संदेहास्पद मुख्तारनामों एवं विक्रय विलेखों का पंजीयन कराने बाबत।

संदर्भ :— इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 2211/तकनीकी/2010, दिनांक 12.8.09 एवं अ.शा.क्रं.2485/तकनीकी/09,दि.2.9.2009

———

उपर्युक्त विषय पर कृपया संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें । उक्त पत्रों द्वारा दस्तावेजों के पंजीयन में गडबडी की आंशका के दृष्टिगत पंजीयन कार्य में सतर्कता बरतन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये थे । हाल ही में विदिशा जिले में कुछ दस्तावेजों के पंजीयन में वर्णित संव्यवहार संदिग्ध प्रतीत होने पर कलेक्टर विदिशा द्वारा कराई गई जांच में निम्न विसंगतियां दृष्टिगोचर हुई है :—

(1) पंजीकृत विक्रय पत्र दस्तावेजों में जिन खसरा नंबर/भूमियों का उल्लेख किया है वे भूमियां ग्रामों में मौके पर नहीं है ।

(2) जिन खसरे नकलों के आधार पर दस्तावेजों का पंजीयन कराया गया है वे भी तहसील कार्यालय से जारी नहीं होकर फर्जी बनाई गई है।उक्त दस्तावेज सम्पादन में नकली कम्प्यूटरीकृत खसरा नकलों का उपयोग किया है । इसके लिये आयुक्त भू—अभिलेख द्वारा प्रदाय खसरा फार्मो में फर्जी

प्रतिलिपियां तैयार की गई है जो कि विभागीय साफ्टवेयर का उ... करके बनाई प्रतीत होती है ।

(3) नवीन प्रारूप की 102 सीरिज की ऋण पुस्तिकाओं का उपयोग करके दस्तावेजों का पंजीयन कराया है । यह भू–अधिकार एवं ऋण पुस्तिकायें तहसील लटेरी से जारी ही नहीं की गई है । यह सीरिज विदिशा जिले को आवंटित ही नहीं हुई है । विदिशा जिले को 526 सीरिज की ऋण पुस्तिकाएं प्रदाय की गई है ।

(4) दस्तावेजों का पंजीयन कराने के समय जो मतदाता फोटो परिचय पत्र प्रस्तुत किये गये हैं वे भी तहसील कार्यालय से जारी न होकर फर्जी बनाये गये हैं । उनकी पुष्टि केता एवं विक्रेता के निवास स्थान से नहीं हो रही है ।

(5) विक्रय पत्रों पर यह अंकित नहीं है कि विक्रय पत्र किस अभिभाषक द्वारा ड्राफ्ट किया गया है ? अथवा किसके द्वारा टाईप किया गया है ?

ऐसे पंजीकृत दस्तावेजों का विविध रूपों में दुरूपयोग संभावित है, यथा बैंक अथवा वित्तीय संस्थान से ऋण प्राप्त करने के लिये, शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की अनुमति हेतु आवश्यक दस्तावेजों के रूप में इत्यादि । आंशंका है कि किसी बडे संगठित गिरोह की इसमें भूमिका हो सकती है । ऐसा प्रतीत होता है कि प्रदेश से बाहर के केता दर्शाकर म0प्र0 स्थिति भूमि के दस्तावेज पंजीबद्व कराने वाले व्यक्तियों/संगठनों द्वारा कार्य पद्धति बदलकर स्थानीय केता दर्शाकर पंजीयन कराया जा रहा है ।

उक्त पृष्ठ भूमि में दस्तावेजों के पंजीयन में विशेष सर्तकता बरतना आवश्यक है । अतएव संदर्भित पत्रों द्वारा पूर्व में इस कार्यालय से पंजीयन की कार्य प्रकिया के संबंध में जो निर्देश जारी किये गए थे उनका कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए ।

महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश